



दिनांक 06.02.2025

प्रेस विज्ञप्ति 07 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना भेलूपुर

- 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 26 हजार रूपये नगद
 - 05 मोबाइल फोन व सिम कार्ड, पोर्टेबल वाई-फाई (डोंगल) आदि बरामद

दिनांक 06.02.2025 को थाना भेलूपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीरगोवर्धनपुर लौटू बीर मन्दिर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-विशाल उर्फ विक्की सहित अभियुक्त 2-प्रशान्त उर्फ जुगनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन व सिम कार्ड, पोर्टेबल वाई-फाई (डोंगल) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ विक्की शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भेलूपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विशाल उर्फ विक्की निवासी भदौनी थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2-प्रशान्त उर्फ जुगनू निवासी भदौनी थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1-26 हजार रूपये नगद।

2-05 मोबाइल फोन व सिम कार्ड, पोर्टेबल वाई-फाई (डोंगल) आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त
गिरफ्तार

- लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार

- नगद रूपये

- 01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 05.02.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व थाना जहांगीराबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूत मिल रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार, नगद रूपये, 01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय कुमार निवासी नन्दपुर कस्बा डूडा कालोनी के पास थाना चिनहट, लखनऊ।

बरामदगी

- 1-लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार।
- 2-नगद रूपये।
- 3-01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना अछनेरा

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 06.02.2025 को थाना अछनेरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कचौरा रेलवे फाटक के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धर्मो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अछनेरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरनेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अछनेरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-धर्मेन्द्र उर्फ धर्मो निवासी कचौरा थाना अछनेरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

- 1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फतेहगढ़/थाना राजेपुर

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 26 हजार रूपये नगद
 - 02 मोबाइल फोन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद

दिनांक 05/06.02.2025 को थाना राजेपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सुमित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—शिवम सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य तीन बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 26 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.02.2025 को थाना राजेपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राजेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना राजेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुमित निवासी जटोरा थाना जसरथपुर जनपद एटा।

2—शिवम निवासी प्रहलादपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

- 1-लूट के 26 हजार रुपये नगद।
- 2-02 मोबाइल फोन।
- 3-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 4-01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के सोने-चौंदी के आभूषण
 - 4700/- रुपये नगद
 - 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 06.02.2025 को थाना बड्डूपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाबा कुटी पुल नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त तफहीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने-चौंदी के आभूषण, 4700/- रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-तफहीम निवासी धधरा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

- 1-लूट के सोने-चौदी के आभूषण।
- 2-4700/- रूपये नगद।
- 3-01 मोटर साइकिल।
- 4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन

- चोरी की घटना का अनावरण
 - 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 07 राउटर कार्ड, 01 कार जीप कम्पास
- नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक 06.02.2025 को थाना रामचन्द्र मिशन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरदोई बाईपास से कटरा की तरफ पुल के पास से 05 अभियुक्तों 1-ब्रजनन्दन कुमार उर्फ हैप्पी 2-राजेश कुमार 3-प्रीत कुमार उर्फ पीके 4-सर्वेश 5-कुलदीप उर्फ वीरू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 राउटर कार्ड, 01 कार जीप कम्पास, नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.01.2025 को थाना रामचन्द्र मिशन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार्ड आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-ब्रजनन्दन कुमार उर्फ हैप्पी निवासी महदा थाना चोलापुर कमिश्नेरट वाराणसी।

- 2-राजेश कुमार निवासी नयी मुसियार थाना पटियाली जनपद कासगंज ।
- 3-प्रीत कुमार उर्फ पीके निवासी जल्लाबाद थाना सिधौली जनपद सीतापुर ।
- 4-सर्वेश निवासी जल्लाबाद थाना सिधौली जनपद सीतापुर ।
- 5-कुलदीप उर्फ वीरू निवासी जल्लाबाद थाना सिधौली जनपद सीतापुर ।

बरामदगी

- 1-चोरी के 07 राउटर कार्ड, 01 कार जीप कम्पास ।
- 2-नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन आदि ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 05/06.02.2025 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलावटी अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनस घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनस निवासी मोहल्ला भटियावाड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी

- 1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

- जनपद बरेली/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड व प्रत्येक को 01 लाख 60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—मकसद अली 2—साबिर अली 3—अभियुक्ता को मृत्युदण्ड व प्रत्येक को 01 लाख 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—तेजराम 2—विजय कुमार को आजीवन कारावास व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामसेवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हाथरस/थाना सादाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 32 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हरिओम को सश्रम आजीवन कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सतनाम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट लखनऊ/थाना काकोरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना काकोरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5ए/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देशराज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बच्छराज उर्फ बच्छऊ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
